राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र / 2020 / 706 दिनांकः– 9/10/2020

कार्यालय आदेश

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा, जयपुर के वैश्म में दिनांक 23.06.2020 को मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक के जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक प.22(1)संसद / 2010 पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 11 की अनुपालना में मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना के अरावली एन्क्लेव, न्यू सांगानेर रोड़ एवं द्वारका ट्वीन्स, बी–टू बाईपास, जयपुर में फ्लैट लेना चाहते है। उन्हें फ्लैट्स की कुल राशि 50 लाख रूपये (जिसमें ACS Charge, GST, Hire Purchase Charge, Lease money+map+legal expences+parking charges+society charges भी शामिल होंगे), होगी, जिसमें 10 लाख रूपये अग्रिम जमा कराने होंगे एवं शेष 40 लाख रूपये किश्तों में जमा कराने होंगे। इसी प्रकार से जो माननीय सदस्य व्यास अपार्टमेंट व सरस्वती अपार्टमेंट, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आवास लेना चाहते हैं, उन्हें फ्लैट की कुल राशि 25 लाख रूपये (जिसमें ACS Charge, GST, Hire, Purchase Charge, Lease money+map+legal expences+parking charges+society charges भी शामिल होंगे), होगी। जिसमें 10 लाख रूपये अग्रिम जमा कराने होंगे एवं शेष 15 लाख रूपये किश्तों में जमा कराने होंगे।

कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 16 में उल्लेखित आवासन मण्डल द्वारा माननीय विधायकों के लिए अरावली एनक्लेव, न्यू सांगानेर रोड़ एवं द्वारका ट्वीन्स, बी–टू बाईपास, व्यास अपार्टमेंट व सरस्वती अपार्टमेंट में आवास रिक्त करने वाले सभी माननीय विधायकों को फ्लैट उपलब्ध करा दिए जाएंगे तथा माननीय विधायको को मिलने वाला मकान किराया भत्ता रूपये 30,000/– प्रतिमाह का विधानसभा सचिवालय द्वारा आवासन मण्डल को सीधे ही भुगतान किया जायेगा।

अतः मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 11 एवं 16 के उच्च स्तरीय निर्णय, जिसमें उल्लेखित मण्डल आवासों की लागत व किराया को मण्डल में ग्रहण (adopt) करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 243 वीं बैठक दिनांक 21–09–2020 के प्रस्ताव संख्या 243.12 रखा गया।

प्रस्तावानुसार मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना के अरावली एनक्लेव, न्यू सांगानेर एवं द्वारका ट्वीन्स, बी–टू बाईपास, मानसरोवर, व्यास अपार्टमेन्ट व सरस्वती अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में माननीय विधायकगण को फ्लेट आवंटन के सम्बन्ध में जारी मंत्रिमण्डल उप समिति की बैठक दिनांक 23–06–2020 के कार्यवाही विवरण को ग्रहण (adopt) करने का अनुमोदन करने पर एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

D/DRB/OFFICE ORDER

<u>प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–</u>

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–..........................राजस्थान आवासन मण्डल, ...
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–................................, रा0आ0म0, ...
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/OFFICE ORDER